मु० नम्बर.....किस्म..... .....उनवान.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

दिनांक	फर्द अहकाम
25/9/25	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महो० ग्रामीण सेवा शिविर 2025 में व्यस्त होने के कारण पत्रावली मताटेशानुसार दिनांक 07/10/25 को पेश हो।
07/10/25	पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाने पर भी वादीगण एवं उनके अधिवक्ता उप. नहीं हुए। अतः मु. नं. 115/18 उनवान शिवलहरी बनाम गिरजि दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नं. से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।